

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302001)  
Telefax:0141-2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: पीआर/डीएलबी/विजन डॉक्यूमेंट/2023/ 8685-8747 दिनांक : 01/9/2023

आयुक्त  
नगर निगम/परिषद  
समस्त राजस्थान।

विषय:- "राजस्थान-मिशन 2030 अभियान" के अन्तर्गत जिलेवार सर्वे के संबंध में।  
प्रसंग:- आयोजना (ग्रुप-4) विभाग का पत्र क्रमांक प.4(1)आयो./ग्रुप-4/2023 दिनांक  
01.09.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में सभी जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आयोजना विभाग द्वारा निर्धारित जनकल्याण ऐप पर प्रत्येक जिले से 50 शहरी रोजगार गारण्टी मेट/एनयूएलएम के स्वयं सहायता समूह का Field Functionaries (सर्वेयर्स) के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाते हुए प्रति सर्वेयर कम से कम 100 नागरिकों का सर्वे सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स द्वारा सर्वे कार्य की मॉनिटरिंग की जायेगी।

1. जिले के सर्वे हेतु संबंधित Field Functionaires की संख्या की सूचना तत्काल ईमेल jdpr.lsg@gmail.com पर भिजवाने के साथ ही संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स को भी प्रेषित करने का श्रम करावें।
2. जिले से संबंधित Field Functionaires (सर्वेयर्स) का अविलम्ब जनकल्याण ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाकर सर्वे कार्य अतिशीघ्र आरम्भ करावें।
3. जिला स्तरीय नोडल अधिकारी सर्वे की नियमित मॉनिटरिंग कर सर्वे कार्य दिनांक 13.09.2023 तक पूर्ण कर सूचना इस विभाग की ईमेल jdpr.lsg@gmail.com पर भिजवाने के साथ ही संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

  
(हृदेश कुमार शर्मा)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: पीआर/डीएलबी/विजन डॉक्यूमेंट/2023/ 8748-9327 दिनांक : 11/9/2023

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।

4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
7. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त, विकास प्राधिकारण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर।
9. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
10. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर पर अपने अधीनस्थ नगरीय निकायों द्वारा समयबद्ध रूप से पालना सुनिश्चित करायें।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
13. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान।
14. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान।
15. सुरक्षित पत्रावली।

  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव